न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1581/दो/2005 विरूद्व आदेश दिनांक 12–9–2005 –पारित –व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर–प्रकरण कमांक 170 अ 6/2004–05 अपील

1– श्रीमती शॉतिवाई पत्नि स्व. कुंदनलाल जैन
2– राजेन्द्र 3– महेन्द्र 4– शैलेन्द्र
तीनों पुत्रगण स्व. कुंदनलाल जैन
सभी निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई
जिला सागर मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्व

1– डा.संतोष कुमार पुत्र कालूराम जैन
2– अशोक कुमार (मृतक) पुत्र कालूराम जैन
वारिस अंद्वित कुमार पुत्र अशोक कुमार
3– देवेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम जैन
सभी निवासी ग्राम खिमलासा तहसील खुरई
जिला सागर मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव

अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामबाबू दुवे

आदेश

(आज दिनांक 20–5–2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 170 अ 6/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.09.2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार खिमलासा तहसील खुरई जिला सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि

मौजा खिमलासा स्थित बंदोवस्त के पूर्व की भूमि सर्वे कमांक 337/5 रकबा 0.40 डि. के वह भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है किन्तु बंदोवस्त के दौरान त्रृटिपूर्ण कार्यवाही हो जाने से इसका रकबा 0.40 डि. को अन्य खसरा नंबर में विभाजित कर दिया गया जिसके दो नये नंबर 855 रकबा 0.20 डि. एंव 850 रकबा 40 डि. बना दिये गये। सर्वे नंबर 855 आवेदकगण के पिता के नाम किया है जो सही किन्तु सर्वे नंबर 850 नरेश कुमार पिता चुन्नीलाल के नाम किया गया है गलत है। खसरा नंबर 855 रकबा 0.20 डि. का अलग नक्शा एंव 850 का अलग नक्शा बना दिया और इन नक्शों में भी कमी कर दी गई। रकबे के अनुसार नक्शे में एक ही मेढ़ रकबा 0.40 डि. की बनना थी किन्तु संपूर्ण कार्यवाही गलत हुई है जिसे दुरूस्त किया जावे। नायव तहसीलदार खुरई ने प्रकरण कमांक 64 अ 6 अ/03-04 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2-8-04 पारित किया तथा अनावेदकगण का आवेदन स्वीकार कर खसरा नंबर 850 पर अनावेदकगण (निगरानी के आवेदकगण) के स्थान पर कालूराम के बारिस अनावेदकगण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

नायव तहसीलदार के उक्तादेश के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 2 अ 6 अ/03-04 में पारित आदेश दिनांक 27-11-04 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-8-04 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 170 अ 6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2005 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-8-04 यथावत् रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के साथ ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि बंदोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक 337/5 रकबा 0.162 हैक्टर अर्थात (0.40) थी जो कालूराम पुत्र हल्के के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है। बंदोवस्त के दौरान इसी सर्वे नंबर की भूमि के सर्वे नंबर 850 एंव 855 बनाये गये । पूर्व वर्षो यानि वर्ष 1967 में नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 428 पर दिनांक 15–11–67 को हुई प्रविष्टि अनुसार सर्वे नंबर 337/5 का आपसी विभाजन कालूराम पुत्र हल्के के नाम दर्ज हुआ है जिस पर सहमति स्वरूप कालूराम, भैयालाल, बालचंद के हस्तक्षर हैं तदुपरांत किस्तबंदी ख़तौनी वर्ष 1975–76 में खसरा नंबर 337/5 रकबा 0.40 कालूराम के नाम दर्ज रहा और खसरा नंबर 337/5 का नया नंबर 850 एंव 855 पर आवेदकगण के पति एंव पिता का नाम दर्ज रहा।

प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि नायव तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन उनके अधिकारिता क्षेत्र में रहा है अथवा नहीं ? नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अनावेदकगण ने भले ही संहिता की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन देना बताया हो, किन्तु आवेदन के मान से मूल मामला लिपिकीय त्रृटि से संबंधित रहा है, इस संबंध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 12–9–05 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है।

6/ जहां तक नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का मौका न मिलने वावत् उठाई गई आपत्ति का सम्बन्ध हैं नायव तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि हितबद्व पक्षकारों को नायव तहसीलदार ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव बचाव का समुचित अवसर दिया है जिसके कारण वरिष्ठ न्यायालय में उठाई गई यह आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है।

7/ नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 64/अ–6–अ/03–04 के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण में हलका पटवारी व्दारा स्थल के मान

से मिलान कर तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार बंदोवस्त के पूर्व पुराना खसरा नंबर 337/5 रकबा 0.40 डिस0 भूमि थी बंदोवस्त के वाद पुराने ख0नं0 337/5 के दो नंबर बने अर्थात खसरा नंबर 855 एंव खसरा नंबर 850 – जिसमें खसरा नंबर 855 कालूराम के नाम दर्ज कियागया व 850 पर नरेश कुमार का नाम दर्ज किया गया। पटवारी व्दारा प्रस्तुत तुलनात्मक विवरण में बंदोवस्त की त्रृटि होना पाई गई , किन्तु नायव तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदकगण पटवारी व्दारा प्रस्तुत विवरण के विपरीत स्वयं की भूमि होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण हितबद्व पक्षकारों को श्रवण कर नायव तहसीलदार ने बोलता हुआ आदेश पारित करके बंदोवस्त के दौरान हुई लिपिकीय त्रृटि को दुरूस्त किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने विपरीत अर्थ निकालकर निरस्त करने की त्रृटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रृटिपूर्ण पाते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–8–04 को विधिवत् होने से स्थिर रखा है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 170 अ 6/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.09.2005 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर